वन्य जीव संरक्षण

1. भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) का संरक्षण

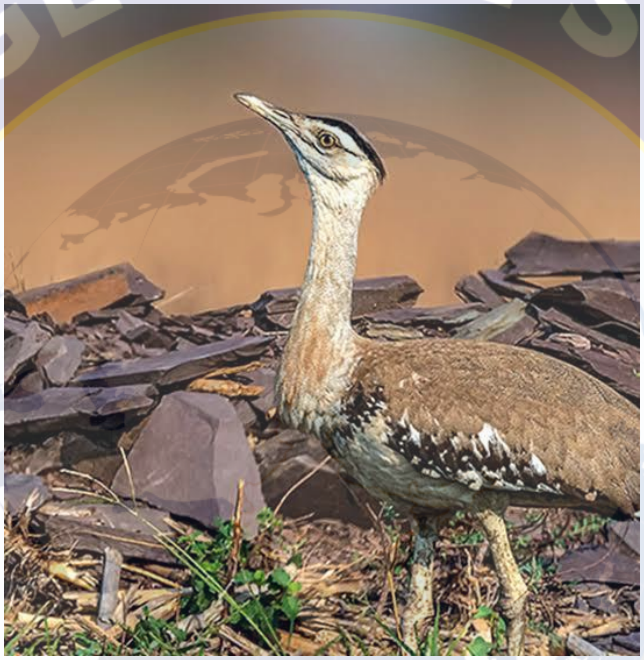

1.1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- दुनिया की सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक.
- कभी भारत और पाकिस्तान के घास के मैदानों में व्यापक था, लेकिन अब 95% विलुप्त हो चुका है.
- वैज्ञानिक नाम: आर्डियोटिस निग्रिसेप्स
- जनसंख्या: दुनिया भर में 200
- ऊँचाई: 100 सेमी
- विंगस्पैन: 210-250 सेमी
- स्थिति: IUCN रेड लिस्ट में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के रूप में सूचीबद्ध
- भौगोलिक आवास: भारत और पाकिस्तान के मूल निवासी

1.1.2. भारत में रेंज राज्य

- ऐतिहासिक रूप से: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु.
- आज: आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में.

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

1.1.3. सुरक्षा की स्थिति

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध.
- CMS और CITES के परिशिष्ट I में भी सूचीबद्ध.
- पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 'वनों के आवासों के एकीकृत विकास' के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक के रूप में पहचाना गया.
- राजस्थान का राज्य पक्षी.
- राजस्थान 2012 से इस पक्षी के लिए एक संरक्षण परियोजना चला रहा है.

1.2. संरक्षण के मुद्दे

- **शिकार:** पाकिस्तान में अभी भी प्रचलित है, और भारत में भी कुछ हद तक.
- **आवास हानि और परिवर्तन:** कृषि विस्तार, मशीनीकृत खेती, सिंचाई, सड़क, बिजली के खंभे, खनन और औद्योगिकीकरण.
- **हाई-टेंशन बिजली के तारों से टक्कर:** थार रेगिस्तान में पवन ऊर्जा विकास का खतरा.
- **अन्य खतरे:** तेज गति से चलने वाले वाहन, आवारा कुत्ते.

1.3. संरक्षण प्रयास

1.3.1. प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- 2012 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया.
- प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर.
- राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को धन प्राप्त करने और दीर्घकालिक संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया.

1.3.2. डेजर्ट नेशनल पार्क

- 1980 में थार रेगिस्तान के 3162 वर्ग किलोमीटर को अधिसूचित किया गया.
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना.
- वर्तमान में 35-40 GIBs का घर, मुख्य रूप से सुदाश्री परिदृश्य क्षेत्र में.

1.3.3. बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम

- WWF-इंडिया भारत सरकार का भागीदार है.
- जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

1.3.4. संरक्षण प्रजनन सुविधा

- जून 2019 में जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में स्थापित.
- MoEFCC, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा एक संयुक्त पहल.

2. भारत में शेर संरक्षण

2.1. एशियाई शेर:

- **वैज्ञानिक नाम:** पैंथेरा लियो पर्सिका
- **वितरण:** वर्तमान में केवल भारत के गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में पाए जाते हैं.
- **IUCN स्थिति:** लुप्तप्राय (Endangered)

2.1.1. संरक्षण के मुद्दे:

- **अवैध शिकार:** शेरों को अवैध शिकार का खतरा है, खासकर जंगल के किनारे रहने वाले ग्रामीणों द्वारा. उनके शरीर के कुछ अंगों की पारंपरिक दवाओं में मांग होने के कारण भी शिकार किया जाता है.
- **आवास विखंडन:** कृषि, बांधों और सड़कों के विकास ने शेरों के प्राकृतिक आवास को खंडित कर दिया है. सिंचाई के लिए खोदे गए खुले कुओं में कई शेर डूब जाते हैं.
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** शेर कभी-कभी पशुधन पर हमला करते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा उनका जहर दिया जाता है या मार दिया जाता है.
- **रोग:** शेर घरेलू पशुओं से फैलने वाली बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंपर और कैनाइन पैरवोवायरस.
- **प्राकृतिक आपदाएं:** बाढ़ और सूखा शेरों की आबादी को प्रभावित कर सकते हैं. साथ ही ये आपदाएं उनके शिकार को भी कम कर सकती हैं.
- **आवास अतिप्रजन:** गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों की बढ़ती आबादी के लिए बहुत छोटा हो रहा है. भविष्य में भोजन और आवास की कमी एक समस्या बन सकती है.

2.2. संरक्षण प्रयास:

- **1910:** जूनागढ़ के नवाब ने अपने राज्य में शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया. यह प्रतिबंध भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा.
- **1960 के दशक:** गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित किया गया.
- **1965:** शेर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया. इस कार्यक्रम के तहत वन विभाग ने शेरों की निगरानी के लिए रेडियो कॉलरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया. साथ ही उनके प्राकृतिक शिकारों का संरक्षण भी किया गया.
- **2020:** प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत.

2.3. प्रोजेक्ट लायन:

- **लक्ष्य:** एशियाई शेरों के संरक्षण को मजबूत करना और उनकी आबादी का विस्तार करना.
- **उद्देश्य:**
    - आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके शेरों के आवास का विकास करना, जिसमें उनके वंशावली प्रबंधन को भी शामिल किया गया है.
    - शेरों में बीमारियों का मुकाबला करना, जिसके लिए पशु चिकित्सकों का दल बनाया गया है.

    - मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना. इसमें ग्रामीणों को मुआवजा देना और शेरों को जंगल के भीतर ही भोजन उपलब्ध कराना शामिल है.
    - स्थानीय समुदायों को वन्यजीव पर्यटन आदि से जोड़कर आजीविका के अवसर प्रदान करना.
- **कार्यान्वयन:**
    - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रबंधित.
    - सौराष्ट्र में शेरों के तीन "जीन पूल" केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कमजोर आनुवंशिकी वाले शेरों को रखा जाता है.
    - छह नए संभावित स्थानों की पहचान की गई है जहां शेरों को फिर से स्थापित किया जा सकता है, जिनमें से एक मध्य प्रदेश का कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य है. यह क्षेत्र पहले भी शेरों का आवास था.
        - माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश.
        - सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान.
        - मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान.
        - गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश.
        - कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान.
        - जेस्सोर-बलराम अंबाजी WLS और आसपास के परिदृश्य, गुजरात.

2.4. एशियाई शेरों की वर्तमान स्थिति:

- **2020:** गुजरात में शेरों की आबादी 674 तक पहुंच गई, जो 2015 में 523 थी, यानी शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई है.
- **वितरण क्षेत्र:** शेरों का वितरण क्षेत्र 36% बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है. गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के अलावा, अब वे पास के जंगलों में भी पाए जाते हैं.

सफलता के कारक:

- सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से गिर वन के आसपास रहने वाले मालधारी पशुपालकों की.
- प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसे की रेडियो कॉलरिंग और कैमरा ट्रैपिंग.
- वन्यजीव स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान.
- आवास प्रबंधन पर बल.
- मानव-शेर संघर्ष को कम करने के उपाय

निष्कर्ष

भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों ने काफी सफलता पाई है. हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर शेरों के लिए नए आवास ढूंढना शामिल है. प्रोजेक्ट लायन भारत की इस अनूठी उप-प्रजाति के भविष्य के लिए एक आधार प्रदान करता है.

3. गैंडों का संरक्षण

3.1. एक-सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा)

3.1.1. वर्गीकरण और टैक्सोनॉमी:

- **वैज्ञानिक नाम:** राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस (Rhinoceros unicornis)
- **पारिवारिक वर्गीकरण:** राइनोसेरोटिडे (Rhinocerotidae)
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN लाल सूची में "सुभेद्य" (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध

3.1.2. वितरण और आवास:

- **मुख्य आवास:**
  - भारत: असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं.
  - नेपाल: तराई क्षेत्र में
- **विशेषताएं:**
  - नदी घास के मैदानों, बाढ़ के मैदानों और उष्णकटिबंधीय सवाना में पाए जाते हैं.
  - घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों से बचते हैं.

3.1.3. शारीरिक विशेषताएं:

- **आकार:**
  - नर: 2260 किलोग्राम से 3180 किलोग्राम तक वजन
  - मादा: 1600 किलोग्राम से 2700 किलोग्राम तक वजन
- **सींग:**
  - एक विशिष्ट विशेषता, जो 20 सेमी से 57 सेमी तक लंबी हो सकती है.
  - सींग केरैटिन से बना होता है, जो बालों और नाखूनों जैसा ही पदार्थ है.
- **त्वचा:**
  - मोटी और ढीली, गहरे भूरे रंग की होती है.
- **शरीर:**
  - मजबूत और भारी, छोटे पैरों के साथ.
  - एक बड़ा सिर और एक लंबा, नुकीला थूथन होता है.

3.1.4. गैंडों की प्रजातियां:

- **अफ्रीकी गैंडे:**
  - सफेद गैंडा (Ceratotherium simum)
  - काला गैंडा (Diceros bicornis)
- **एशियाई गैंडे:**
  - ग्रेटर वन-हॉर्न्ड गैंडा (Rhinoceros unicornis)
  - जावन गैंडा (Rhinoceros sondaicus)
  - सुमात्रान गैंडा (Dicerorhinus sumatrensis)

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

3.1.5. IUCN लाल सूची में गैंडों की स्थिति:

प्रजाति	स्थिति
काला गैंडा	गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
सफेद गैंडा	निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)
एक सींग वाला गैंडा	सुभेद्य (Vulnerable)
जावन गैंडा	गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
सुमात्रान गैंडा	गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)

3.1. संरक्षण के मुद्दे

- **अवैध शिकार:** भारतीय गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा में किया जाता है. यह प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है.
- **आवास हानि:** कृषि, बांधों और सड़कों के विकास ने गैंडों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है.
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** गैंडे कभी-कभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या मवेशियों को मारते हैं, जिसके कारण ग्रामीणों द्वारा उनका शिकार किया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है.
- **रोग:** गैंडे घरेलू पशुओं से फैलने वाली बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं.
- **बाढ़ और सूखा:** ये प्राकृतिक आपदाएं गैंडों के आवास और भोजन को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

3.2. संरक्षण प्रयास

- **1910:** भारत में गैंडों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
- **1970:** काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था, जो एक-सींग वाले गैंडों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवासों में से एक है.
- **1980 के दशक:** ऑपरेशन राइनो शुरू किया गया था, जिसके तहकत गैंडों को अवैध शिकारियों से बचाने के लिए गश्त लगाई गई थी.
- **1990:** नेपाल और भारत ने गैंडों के संरक्षण के लिए एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए.
- **2005:** इंडियन राइनो विजन 2020 (IRV2020) शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य 2020 तक असम में गैंडों की आबादी को 3,000 तक बढ़ाना था.
- **2019:** भारत ने राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति अपनाई, जिसका लक्ष्य 2030 तक राइनो वितरण को 5% तक बढ़ाना है.

3.3. इंडियन राइनो विजन 2020 (IRV2020)

3.3.1. लक्ष्य:

- 2020 तक असम में सात संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी को 3,000 तक बढ़ाना.

3.3.2. रणनीति:

- **आवास प्रबंधन:** गैंडों के लिए प्राकृतिक आवास को बेहतर बनाना.
- **संरक्षण:** अवैध शिकार से गैंडों की रक्षा करना.

- **पुनर्वास:** गैंडों को नए क्षेत्रों में स्थानांतरित करना.
- **जन जागरूकता:** स्थानीय समुदायों में गैंडों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना.

3.3.3. उपलब्धियां:

- IRV2020 के तहत, असम में गैंडों की आबादी 2005 में 1600 से बढ़कर 2020 में 2900 हो गई.
- सात संरक्षित क्षेत्रों में से चार में गैंडों की आबादी स्थापित की गई थी.

3.3.4. चुनौतियां:

- **आवास हानि:** कृषि, बांधों और सड़कों के विकास के कारण गैंडों के आवास का नुकसान जारी रहा.
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** गैंडे और मनुष्यों के बीच संघर्ष एक बनी हुई समस्या है.
- **पोषक तत्वों की कमी:** कुछ संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है.

3.4. संख्या और वितरण

एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि

- **अवैध शिकार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई** और **आवास निर्माण** के संयोजन ने एक सींग वाले गैंडों की आबादी को 4,014 तक बढ़ाने में मदद की है.
- **2022 में, एक सींग वाले गैंडों की संख्या 2018** में रिपोर्ट की गई संख्या की तुलना में **426 अधिक** थी.
- **एक दशक पहले, एक सींग वाले गैंडों की आबादी 2,454 थी.**

प्रमुख वितरण स्थल

- **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान** प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा निवास स्थान है (2,613).
- **अन्य प्रमुख वितरण स्थलों में शामिल हैं:**
  - जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान (287)
  - ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (125)
  - पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (107)
  - गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान (52)
  - मानस राष्ट्रीय उद्यान (40)
  - दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (38)

नोट:

- **सभी संख्याएं 2022 तक की हैं.**
- **भारत और नेपाल** एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य	एक सींग वाले गैंडों की संख्या (2022)
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	2,613
जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान	287
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	125

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य	107
गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान	52
मानस राष्ट्रीय उद्यान	40
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	38

निष्कर्ष:

एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रतीक है. हालांकि, अवैध शिकार और आवास हानि जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. इन शानदार जानवरों की आबादी को बचाने और बढ़ाने के लिए संरक्षण प्रयासों को जारी रखना महत्वपूर्ण है.

हाथियों का संरक्षण

एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस) भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है.

ऐतिहासिक वितरण:

- भूतकाल में व्यापक रूप से वितरित थे: पश्चिम एशिया (टाइग्रिस-यूफ्रेट्स) से पूर्व में फारस, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया (श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो) और उत्तरी चीन तक.

वर्तमान वितरण:

- भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ एशियाई द्वीप (श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया).
- **आधे से अधिक** जंगली एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं.

संरक्षण स्थिति:

- 1986 से IUCN रेड लिस्ट में **लुप्तप्राय (Endangered)** के रूप में सूचीबद्ध.

हाथियों के बारे में तथ्य:

- **सामाजिक संरचना:**
  - मातृसत्तात्मक समूह:
    - एक वृद्ध, अनुभवी हथिनी झुंड का नेतृत्व करती है.
    - परिवार में आमतौर पर माँ, उसकी बहनें, बेटियाँ और उनके बच्चे (बछड़े) होते हैं.
    - 3 से 25 हाथियों तक के समूह.
    - हथिनी एक दूसरे के बछड़ों की देखभाल में मदद करती हैं.
  - मजबूत सामाजिक बंधन:
    - दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच.
- **प्रजनन:**
  - सभी स्तनधारियों में सबसे लंबी गर्भावस्था अवधि: 680 दिन (22 महीने).
  - 14 से 45 वर्ष की आयु वाली हथिनी हर 4 साल में बछड़े को जन्म दे सकती है.
  - जन्म अंतराल:

        - 52 वर्ष तक 5 वर्ष
        - 60 वर्ष तक 6 वर्ष
- **आवास:**
    - विस्तृत श्रृंखला वाला जानवर: बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है.
    - भोजन और पानी की उच्च आवश्यकता:
        - केवल इष्टतम परिस्थितियों वाले वनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है.
        - जंगलों की स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक.
- **वितरण (भारत):**
    - दक्षिण भारत,
    - उत्तर पूर्व (उत्तर पश्चिम बंगाल),
    - मध्य भारत (उड़ीसा),
    - दक्षिण पश्चिम (पश्चिम बंगाल, झारखंड), और
    - उत्तर पश्चिम भारत (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश).

संरक्षण के मुद्दे:

- **मुख्य खतरे:**
    - आवास हानि, विखंडन और गिरावट.
    - अवैध हत्या (हाथी दांत और अन्य उत्पादों के लिए, या मानव-हाथी संघर्ष के प्रतिशोध में).
    - छोटे जनसंख्या आकार और अलगाव के कारण आनुवंशिक व्यवहार्यता का नुकसान.
- **मानव-हाथी संघर्ष:**
    - तेजी से बढ़ रहा है, खासकर तमिलनाडु, असम, केरल, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में.
    - कारण:
        - आवास हानि और विखंडन.
        - गलियारों में रुकावट.
        - अवैध कटाई.
        - जंगलों के अंदर परिक्षेत्र.
        - चाय/कॉफी बागानों में गलियारों पर श्रमिक कॉलोनियां, अतिक्रमण, तीर्थयात्रियों की आवाजाही.
    - परिणाम:
        - हर साल देश में कम से कम 100 हाथियों और 400 इंसानों की मौत होती है.

प्रोजेक्ट एलीफेंट

प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया.

प्रोजेक्ट एलीफेंट का उद्देश्य

- हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना.

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करना.
- पालतू हाथियों का कल्याण.

प्रोजेक्ट एलीफेंट का कार्यान्वयन

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलीफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है.
- प्रोजेक्ट एलीफेंट मुख्य रूप से 22 राज्यों / UT में कार्यान्वित की जा रही है: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Andaman & Nicobar, Bihar, Punjab, Gujarat, and Haryana (जहां प्रोजेक्ट एलिफेंट एक हाथी बचाव केंद्र का संचालन करता है).

प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत मुख्य गतिविधियां

- मौजूदा प्राकृतिक आवासों और हाथियों के प्रवासी मार्गों की पारिस्थितिक बहाली.
- भारत में हाथियों के आवासों और जंगली एशियाई हाथियों की व्यवहार्य आबादी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन का विकास.
- महत्वपूर्ण आवासों में मानव-हाथी संघर्ष के शमन के उपायों को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण हाथी आवासों में मानव और घरेलू स्टॉक गतिविधियों के दबाव को कम करना.
- शिकारियों और मौत के अप्राकृतिक कारणों से जंगली हाथियों की सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना.
- हाथी प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान.
- सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम.
- पर्यावरण-विकास और पशु चिकित्सा देखभाल.

हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम (Monitoring the Illegal Killing of Elephants – MIKE)

MIKE कार्यक्रम की शुरुआत

- CITES के COP (पार्टियों के सम्मेलन) संकल्प द्वारा अनिवार्य, MIKE कार्यक्रम वर्ष 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू हुआ.

MIKE कार्यक्रम के उद्देश्य

- हाथियों के अवैध शिकार के स्तरों और प्रवृत्तियों को मापने के लिए.
- समय के साथ इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए.
- इस तरह के परिवर्तनों के कारण या उससे जुड़े कारकों को निर्धारित करने के लिए, और पार्टियों के सम्मेलन द्वारा CITES के लिए किए गए किसी भी निर्णय के परिणाम के लिए विशेष रूप से किस हद तक देखे गए रुझान का प्रयास और आकलन करना है.

MIKE कार्यक्रम का कार्यान्वयन

- प्रोजेक्ट एलीफेंट 2004 से औपचारिक रूप से 10 हाथी रिजर्व में MIKE प्रोग्राम को लागू कर रहा है.
- कार्यक्रम के तहत, सभी स्थानों से डेटा मासिक आधार पर निर्दिष्ट MIKE पहरा (patrol) फॉर्म में एकत्र किया जा रहा है और दिल्ली में स्थित दक्षिण एशिया कार्यक्रम के लिए उप क्षेत्रीय सहायता कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मंत्रालय की सहायता कर रहे हैं.

हाथियों की गणना

2017 की हाथी गणना के मुख्य बिंदु:

- **हाथियों की संख्या:** 29,964 (यह 2012 की गणना में 31,177 से थोड़ी कम है)
- **गणना की आवृत्ति:** प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार
- **राज्यवार वितरण:**
  - कर्नाटक: 6,049 (सबसे अधिक)
  - असम: 5,719
  - केरल: 3,054
- **क्षेत्रवार वितरण:**
  - दक्षिणी क्षेत्र: 11,960 (सबसे अधिक)
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र: 10,139
  - पूर्व-मध्य क्षेत्र: 3,128
  - उत्तरी क्षेत्र: 2,085
- **महत्वपूर्ण भागीदार:**
  - भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरू)
  - एशियाई प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन (ANCF)
  - गैर सरकारी संगठन
  - स्वतंत्र संरक्षणवादी
  - परियोजना हाथी निदेशालय
  - 23 राज्यों के वन विभाग

टिप्पणी:

- 2017 की हाथी गणना भारत में अब तक की सबसे व्यापक गणना थी, जिसमें 512 हाथी गलियारों और 64,211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया गया था.
- गणना में ड्रोन, हथी-पैदल सर्वेक्षण और उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया गया था.
- हाथियों की गणना हाथियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है.